



2026:AHC:64346

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9410 सन् 2026

मनीराम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता : उदय प्रकाश

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

श्री समोन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता, श्री उदय प्रकाश, विद्वान अधिवक्ता की प्राधिकारिता के अन्तर्गत आवेदक की ओर से, तथा श्री पुनीत कुमार सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से, को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 50 सन् 2014, धारा 419, 420, 468, 467, 471, 120-ख भारतीय दण्ड संहिता, थाना फेज-3 नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण लम्बित रहने के दौरान जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक का जमानत आवेदन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 6, गौतम बुद्ध नगर द्वारा दिनांक 24.02.2026 के आदेश द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है तथा आवेदक दिनांक 14.01.2026 से जेल में निरुद्ध है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में परोक्ष उद्देश्यों से झूठा फँसाया गया है। प्रस्तुत मुकदमा अपराध संख्या को जन्म देने वाली प्राथमिकी शिकायतकर्ता प्रमोद यादव एवं विनोद यादव, पुत्रगण स्वर्गीय श्री

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नानकचन्द द्वारा आवेदक सहित 15 व्यक्तियों को नामजद करते हुए इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई थी कि शिकायतकर्तागण, ग्राम गढ़ी चौखण्डी, परगना एवं तहसील दादरी, थाना फेज-3, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में स्थित खसरा संख्या 115 के अभिलिखित भूमिधर-काशतकार हैं तथा दिनांक 27.02.2023 को उक्त खसरे की सम्बन्धित खतौनी के अवलोकन पर यह प्रकट हुआ कि नामजद व्यक्तियों ने फर्जी तथा काल्पनिक विक्रय-पत्रों के आधार पर फर्जी व्यक्तियों एवं काल्पनिक पहचान तथा आधार कार्डों का सहारा लेकर शिकायतकर्ता के खसरे पर अपने नाम दर्ज करा लिये हैं। उक्त व्यक्तियों ने इस प्रकार निष्पादित विक्रय-पत्रों में एक-दूसरे के हाशिया-साक्षी के रूप में भी कार्य किया है, इसके अतिरिक्त तीन अन्य साक्षी भी खड़े किये गये हैं। काल्पनिक विक्रय-पत्रों के आधार पर सात नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किये गये तथा नाम दर्ज करा लिये गये और शिकायतकर्तागण की पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया। आवेदक को विक्रय-पत्र का साक्षी बताया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक मात्र विक्रय-पत्र का हाशिया-साक्षी है और आवेदक के मामले में किसी दुर्भावनापूर्ण आशय का आरोपण नहीं किया जा सकता जिससे अभिकथित अपराध आकृष्ट हों। विवाद मूलतः एक दीवानी विवाद है। आवेदक के विरुद्ध एक अन्य मामले का आपराधिक पूर्ववृत्त है, अर्थात् मुकदमा अपराध संख्या 101 सन् 2024, धारा 420, 468, 467, 120-ख, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, जिसमें उसे अभी जमानत प्राप्त होनी शेष है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि सह-अभियुक्त फुरकान, राजेश, रोहित वर्मा एवं प्रवीण यादव को जमानत पर विस्तार दिया जा चुका है और आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है। आवेदक विचारण में सहयोग करने का वचन देता है और जमानत पर रिहा होने पर स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हुए जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध किया है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान संकलित सामग्री से अपराध के कारित होने में आवेदक की संलिप्तता स्थापित होती है। आवेदक प्रथम दृष्टया अभिकथित अपराध का दोषी है। जमानत प्रार्थना सिरे से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखों के परिशीलन के उपरान्त, मैं यह पाता हूँ कि आवेदक ने हाशिया-साक्षी के रूप में विक्रेताओं/फर्जी व्यक्तियों की पहचान इस पूर्ण जानकारी के साथ की कि कथित विक्रेता उन विक्रय-पत्रों की विषयवस्तु भूमि के स्वामी नहीं हैं। आवेदक इसी प्रकृति के एक अन्य मामले में भी संलिप्त है जिसमें उसे अभी जमानत प्राप्त होनी शेष है। इन परिस्थितियों में, मैं इस स्तर पर आवेदक को जमानत पर रिहा करने का इच्छुक नहीं हूँ। समानता का कोई मामला नहीं बनता।

प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, इस स्तर पर साक्ष्य की गहन विवेचना करना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे अभियुक्त के विचारण पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। किन्तु अब तक अन्वेषण में संकलित साक्ष्यों के परिशीलन से, प्रथम दृष्टया, प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। आवेदक/अभियुक्त को झूठा फँसाने का कोई कारण नहीं पाया जाता। अतः इस स्तर पर आवेदक-अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का कोई उचित आधार नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये सभी तर्क मामले के गुण-दोष से सम्बन्धित हैं और उन्हें जमानत प्रदान करने के आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में नहीं लिया जा सकता। इस न्यायालय के लिए इस स्तर पर यह मत बनाना सम्भव नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है।

अन्ततः, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की गुरुता तथा दण्ड की कठोरता पर विचार करते हुए, मेरे मत में जमानत का कोई मामला नहीं बनता। तदनुसार, जमानत आवेदन एतद्वारा **अस्वीकार** किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत आवेदन के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निर्णय तक ही सीमित हैं और इसमें की गई कोई भी टिप्पणी मामले के विचारण को प्रभावित नहीं करेगी।

26 मार्च, 2026

पीकेएस

(माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।